बिहार विधान सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में शुक्रवार, तिथि २ अप्रैल, १९५४ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

Short Notice Questions and Answers.

अंचल अधिकारी योजना।

१७५। श्री रामसुन्दर तिवारी—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि चम्पारण जिला में भी अंचल अधिकारी योजना २री अप्रैल, १९५४ से लागू की जा रही है;

(ख) यदि उत्तर हां है, तो उस जिला में प्रत्येक थाना पर एक० अंचल अधिकारी रहेंगे या दो थाना पर और वहां के लिए योजना किस प्रकार बनायी गयी है?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—(क) पहली अप्रैल, १९५४ से अंचल अधिकारी योजना चम्पारण जिले में लागू की जाय या नहीं यह विषय जेरे तजवीज है।

(ख) अंचल अधिकारी योजना का विवरण तय हो रहा है ताकि दूसरे जिलों में भी इसे लागू किया जाय। ऐसा प्रस्ताव है कि हरेक पुलिस स्टेशन में एक अंचल हो और वह अंचल अधिकारी के जिम्मे हो। कई स्थानों में दो पुलिस स्टेशन मिला कर भी एक अंचल बनाने की बात है। जहां तक चम्पारण जिले का सवाल है अभी तक उसका विवरण ठीक नहीं हुआ है।

श्री राम सुन्दर तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि चम्पारण जिले में जो अंचल अधिकारी योजना लागू करने की बात थी उसमें कोई एक्सट्रा अफसर या स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ रही है?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—यह तो इनफार्मेशन आप दे रहे हैं। हमसे तो आप इनफार्मेशन नहीं मांगते हैं इसलिए यह सवाल कैसे हुआ?

श्री राम सुन्दर तिवारी—मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस योजना को रोक दिया है?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—सरकार विचार कर रही है।

श्री राम सुन्दर तिवारी—मैं जानना चाहता हूं कि कब तक विचार होगा।

(ख) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ग) इसके आधे हिस्से का उत्तर स्वीकारात्मक है। फौजदार झा २६ जनवरी, १९५० को रिहा हुए।

(घ) उत्तर स्वीकारात्मक है। कैदी का नम्बर १२६१४-ए है। फौजदार यादव नोवर्क गैंग में पहले से हैं और बहुत दिनों से जेल के अन्दर हैं। फौजदार यादव ने फौजदार झा के बनिस्पत कम मार्का हासिल किया और फौजदार झा बहुत जईफ और कमजोर भी हो गए थे। उनका केस बोर्ड ने रिकॉमेंड किया और गवर्नमेंट ने उस पर विचार किया और उस विचार के अनुसार उनको रिहा किया। फौजदार झा के केस के साथ-साथ फौजदार यादव का केस भी आया था लेकिन उनका केस इस लायक नहीं समझा गया कि उनको तुरत रिहा किया जाय।

(ङ) फौजदार यादव का केस इस वक्त भी सरकार के विचाराधीन है और जेल मैनुएल के दफा ५२७ के अनुसार उनकी रिहायी पर गौर किया जा रहा है।

श्री सुबोध नारायण यादव—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो केस सरकार के विचाराधीन है उस पर कब तक फैसला होगा?

श्री शाह मुहम्मद उजैर मुनेमी—कोई निश्चित तारीख नहीं बतलायी जा सकती है। उनके केस पर गौर किया जा रहा है और जो मुनासिब होगा सो किया जायगा।

श्रीमती सरस्वती चौधरी—फौजदार यादव इस समय बहुत ही कमजोर हो गये हैं, इसलिए उनके केस पर क्या सरकार बहुत जल्द फैसला करेगी?

श्री शाह मुहम्मद उजैर मुनेमी—सरकार उनके केस पर उचित कार्रवाई करेगी।

HELP TO REFUGEE OF EKMA.

*1785. **Shri LAKSHMI NARAIN SINGH**: Will the Minister in charge of the Relief and Rehabilitation Department be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that there are some families of Punjabi refugee in P.-S. Ekma (Saran);

(*b*) if the answer to clause (*a*) be in the affirmative, will Government be pleased to state—

(*i*) no. of the refugee families;

(*ii*) whether they have been rehabilitated;

(*iii*) whether they have got houses;

(*iv*) the nature of relief given to them;

(*c*) whether it is a fact that during the year 1953-54 they had represented their cases before Government for help;

(*d*) if the answer to clause (*c*) be in the affirmative what sorts of help they were given by Government?

Shri SHAH MUHAMMAD OZAIR MUNEMI: (*a*) The answer to the first part of the question is in the affirmative.

(*b*) The number of registered refugee families in Ekma P.-S. is five only. They have been rehabilitated by grant of loan. Government has not constructed any house for displaced persons in Ekma P.-S. The refugees have been given loan of Rs. 400 to four families and Rs. 500 to the remaining one family.

(*c*) A few of the displaced persons filed petition for settlement of land on the North-Eastern Railway which is lying barren near Ekma Bazar.

(*d*) A report and full particulars of the land have been called for from the District Magistrate, Saran. He has since been reminded,

श्री लक्ष्मी नारायण सिंह—सरकार की ओर से यह कहा गया है कि वहां पर ५ रजिस्टर्ड परिवार हैं, तो क्या सरकार यह बतलायेगी कि वहां पर कितने अन-रजिस्टर्ड परिवार हैं?

श्री शाह मुहम्मद उजैर मुनेमी—मैं यह कह चुका हूं कि वहां पर ५ रजिस्टर्ड परिवार हैं और कितने अन-रजिस्टर्ड परिवार हैं उसको मैं कैसे बतला सकता हूं।

श्री लक्ष्मी नारायण सिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि वहां पर जो शरणार्थी हैं उनमें कितने रजिस्टर्ड हैं और कितने अन-रजिस्टर्ड हैं?

श्री शाह मुहम्मद उजैर मुनेमी—जिन लोगों ने मेरे पास दर्खास्तें दी हैं उनको रजिस्टर कर लिया गया है और जिन्होंने दर्खास्त नहीं भेजी है उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूं।

श्री लक्ष्मी नारायण सिंह—सवाल यह है कि वहां पर कितने अन-रजिस्टर्ड परिवार हैं?

श्री शाह मुहम्मद उजैर मुनेमी—यह नहीं कहा जा सकता है।

श्री लक्ष्मी नारायण सिंह—सरकार उस जमीन के बारे में क्या कर रही है?

श्री शाह मुहम्मद उजैर मुनेमी—मैंने अभी बतलाया है कि छपरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उसके बारे में पूछा गया है।

श्री लक्ष्मी नारायण सिंह—रेलवे की जमीन के बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है?

अध्यक्ष—डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जबाब आने पर ही कोई कार्रवाई हो सकती है।